शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/57/2012

श्री एम0एल0 शर्मा, **–शिकायतकर्ता**
सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी,
निवासी–मंगल भवन के पीछे,
पूनम कालोनी, ममता नगर, राजनांदगांव,
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, **– अनावेदक**
कार्यालय– जिला न्यायाधीश,
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

–:: आदेश ::–
(पारित दिनांक : 08/09/2014)

यह शिकायत, शिकायतकर्ता श्री एम0एल0 शर्मा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत अनावेदक जनसूचना अधिकारी, कार्यालय– जिला न्यायाधीश, जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री एम0एल0 शर्मा राजनांदगांव द्वारा आवेदन दिनांक 17.8.11 को धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला न्यायाधीश राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत कर यह जानकारी चाही गई कि वेतन पेंशन निर्धारण में की गई अनियमिता के विषय पर कार्यालय की नस्ती क्रमांक तीन–10–1/64 का संपूर्ण निरीक्षण करावें। जनसूचना अधिकारी द्वारा अभिलेखों का अवलोकन कराये जाने पर शिकायतकर्ता के अनुसार उनके समक्ष अपूर्ण नस्ती प्रस्तुत की गई है। जिससे अभिलेख निरीक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो गया है अतः आवेदक के कार्यकाल में प्राप्त/प्रस्तुत सभी वित्तीय निर्देश एवं संबंधित नोटशीट को यथा स्थिति में संलग्न कराकर उक्त नस्ती का अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाये। शिकायतकर्ता के अनुसार नस्ती में से कागजात निकालकर कूटरचना की गई है। तद्पोरांत जनसूचना अधिकारी ने पत्र दिनांक 4.11.11 को शिकायतकर्ता को यह सूचित किया कि कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.10.2011 के अनुसार नस्ती तीन–10–1/64 की पूर्व में भेजी नस्ती के अलावा और कोई नस्ती उपलब्ध नहीं है। इसलिए पूर्व में दिखाये गये 09 प्रपत्र की नस्ती के अलावा शेष प्रपत्रों का अवलोकन कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार नहीं कराया जा सकता। जनसूचना अधिकारी के उक्त निष्कर्ष से क्षुब्ध होकर शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज कर उभयपक्ष को सुनवाई के लिए आहूत किया गया।

शिकायतकर्ता की ओर से कथन किया गया कि जिन नस्तियों का अवलोकन शिकायतकर्ता करना चाहता था वह महत्वपूर्ण नस्ती थी जिसमें से शासन तथा मान0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी कई प्रकार की प्रक्रिया एवं वित्तीय महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अलग–अलग कर दिया गया है।

उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उन्हें 10/– जमा करने के लिए सूचित किया गया तथा उनके द्वारा वांछित राशि उनके द्वारा चाहे गये अभिलेखों के संदर्भ में जमा की गई थी। उनके द्वारा अवलोकनोपरांत यह आपत्ति भी दर्ज की गई थी कि नस्ती में छेडछाड़ कर अभिलेखों को हटा दिया गया है इस संबंध में नोटशीट दिनांक 23.11.11 पर शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति की गई कि उनके द्वारा उक्त नोटशीट में अंकित नस्ती मांग ही नहीं की गई है। जनसूचना अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से अलग–अलग शुल्क लिया गया किंतु वह नस्ती नहीं दिखाई गई क्योंकि उसका आरोप है कि जो नस्ती 10–1/50 दिखाई गई है वह कूटरचित है क्योंकि ऐसी शंका है कि इन दस्तावेजों में कई वरिष्ठ जज दोषी सिद्ध हो सकते हैं। परंतु बचाव में इन दस्तावेजों को नस्ती से पृथक कर दिया गया। उन्होंने यह भी कथन किया कि वह उस कार्यालय से 20 साल कार्य किये हैं नस्ती में उनके कार्यालय के दस्तावेजों की उन्हें जानकारी है उस नस्ती की नोटशीट 6.9.1975 को जो Sent शब्द में लिखा गया है वह उनके द्वारा लिखा गया है नस्ती नोटशीट को पृथक कर दिया है। शिकायतकर्ता के अनुसार इस प्रकार कूटरचना कर गलत कार्यवाही की गई है जिसके विरूद्ध उनके द्वारा आयोग में शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने सूचना उचित रूप में प्रदान करने तथा दोषियों के विरूद्ध जांच कर दंडित करने का अनुरोध किया गया।

शिकायत की सुनवाई दिनांक 6.9.2014 को शिकायतकर्ता श्री एम0एल0 शर्मा अनुपस्थित थे। अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई। परंतु प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जा रहा है। अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को दी जा चुकी है। शिकायतकर्ता के द्वारा द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत गया था तथा प्रकरण अनावेदक पक्ष के तर्क हेतु दिनांक 4.7.14 के लिए नियत किया गया था। परंतु दिनांक 4.7.14 को सुनवाई नहीं हो सकी इसलिए दिनांक 6.9.2014 को सुनवाई की अनावेदक की ओर से श्री बी0एल0 स्वर्णकार, अधीक्षक, जिला न्यायालय राजनांदगांव उपस्थित। उन्हें सुना गया।

संक्षेप में शिकायतकर्ता का पक्ष यह है कि जिस नस्ती तीन–10–1/64 के अवलोकन का उन्होंने आवेदन दिया था और जिसका अवलोकन कराया गया उसमें केवल 09 पृष्ठ थे और शेष दस्तावेजों जिसमें शासन के महत्वपूर्ण नियम तथा निर्देश थे, को कूटरचना कर निकाल लिया गया है।

अनावेदक का पक्ष है कि कार्यालय के रिकार्ड में जो भी नस्ती व उसमें जो दस्तावेज थे उनका अवलोकन शिकायतकर्ता कर चुके हैं परंतु वे असंतुष्ट हैं क्योंकि उनके अनुसार नस्ती में और भी दस्तावेज होने चाहिए।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अनावेदक जन (लोक) सूचना अधिकारी ने अपना जवाब भी प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि शिकायतकर्ता की आपत्ति पर कि उन्हें संपूर्ण दस्तावेज नहीं दिखाये गये हैं और अपूर्ण नस्ती दिखाई गई है, उन्होंनें अपनी ओर से यह ज्ञात करने का पूरा प्रयास किया कि क्या और कोई दस्तावेज इस नस्ती से संबंधित उपलब्ध है। प्रकरण में जो दस्तावेज प्रस्तुत हुए है उनके अनुसार अनावेदक के पत्र दिनांक 7.9.11 के जवाब में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पत्र क्र. 848 दिनांक 14.9.11

द्वारा उन्हें अन्य बातों के साथ यह सूचित करते हुए कि नस्ती तीन–10–(1)/50(6), नस्ती तीन–10–(1)/50(3), नस्ती तीन–10–(1)/50(8) तथा नस्ती तीन–10–(1)/50(9) जिस हालत में है उसी हालत में संलग्न कर प्रेषित है। इस पत्र में इस प्रकरण से संबंधित नस्ती तीन–10–(1)/1964 Delegation of greater financial and Administrative power to at all levels के संबंध में जो लिखा है उसका संक्षेप है कि 09 पेज की नस्ती इसी हालत में लेखा विभाग में उपलब्ध है। किसी अन्य नस्ती से इन नस्ती के निर्देशों को निकालकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्ष 2006 की कार्यालय प्रेषण की तिथियों की उपलब्ध प्रभार सूची में भी नस्ती तीन–10–1/1964 का हवाला नहीं है। अतः यह नस्ती बिना नोटशीट के इसी हालत में अन्य नस्तियों की तरह रखी गई प्रतीत होती है जिसके संबंध में नोटशीट लिखी ही नहीं गई। सन् 1964 की स्थिति को आज बता पाना मुश्किल है। इसके पश्चात् अनावेदक के पत्र दिनांक 27.9.11 के संदर्भ में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2011 द्वारा स्पष्ट सूचित किया गया है कि नस्ती क्रं तीन–10–1/64, 47 वर्ष पुरानी है। इसे जिस स्थिति में संधारित कर कार्यालय में रखा गया है उसी स्थिति में अवलोकनार्थ भेजा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई नस्ती क्रमांक तीन–10/1/64 कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अनावेदक के प्रयास के बाद स्पष्ट हो गया है कि कार्यालय में अन्य कोई नस्ती या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जिनका अवलोकन शिकायतकर्ता को कराया जाना शेष हो और यह सूचना अनावेदक ने शिकायतकर्ता को पत्र दिनांक 4.11.11 द्वारा दे दी थी।

कूटरचना कर दस्तावेज जो शासन के नियम निर्देशों से संबंधित थे, निकालने के संबंध में अनावेदक के प्रतिनिधि का कहना था कि शासन व माननीय उच्च न्यायालय के नियम तथा निर्देश ऐसे दस्तावेज नहीं है जो केवल उनके कार्यालय में ही उपलब्ध होते हैं। वे ऐसे दस्तावेज हैं जो अन्य जिला एवं सत्र न्यायालयों के कार्यालय में भी रहते हैं और वहां से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इनको जानबूझकर निकालने का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता।

उपरोक्त सभी बातों पर विचार करने पर यह पाया जाता है कि अनावेदक के कार्यालय में जो भी रिकार्ड नस्ती क्रं0 तीन–10–1/64 के संबंध में उपलब्ध थे उनका अवलोकन शिकायतकर्ता कर चुके हैं। शिकायतकर्ता स्वयं ने इस नस्ती क्रं0 तीन–10–1/64 की प्रतिलिपियां शिकायत के साथ संलग्न की है जिसमें जैसा उन्होंने कहा है Sent शब्द भी लिखा है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें यह नस्ती दिखाई गई है। अनावेदक ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि अगर और कोई अभिलेख हो तो प्राप्त किया जाये परंतु उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अन्य कोई अभिलेख नहीं मिले। इस अधिनियम के अंतर्गत रिकार्ड में उपलब्ध अभिलेखों के संबंध में ही कार्यवाही अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है। इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण सिविल अपील नं0 6454/2011 SLP(C) No. 7526/2009 in the case of central board of secondry education & Anr. Vs Aaditya Bandopadhyaya & Ors. में पारित आदेश से भी होती है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण में पारित निर्णय में निम्नानुसार प्रतिपादित किया हैः–

" At this juncture, it is necessary to clear some misconceptions about the RTI Act. The RTI Act provides access to all information that available and existing. This is clear from a combined reading of section 3 and the defenitions of ' information 'and ' right to information' under clauses (f) and (j) of section 2 of the act. if a punblic authority has any infomation in the form of data or analysed data, or abstracts, or statics, an applicant may access such infomation, subject to the exemptions in section 8 of the Act. But where the information sought is not a part of the record of a public authority, and where such information is not required to be maintained any law of thr rules or regulations of the public authority, the Act does not cast an obiligation upon the public authority, to collect or collate such non available information and then furnish it to an applicant. A public authority is also not require to furnish information it to an applicant. Which require drawing of infrences and/or making of assumptions. it is also not required to provide ' advice' or 'opinion' 'opinion' to an applicant, not required to obtain and furnish any 'opinion' or 'advice' to an aplicant. The refrence to 'opinion' or 'advice' in the definition of ' information' in section 2 (f) of the Act, only refers to such material available in the records of a public authority. Many a public authorities have, as public relation exercise, provide advice, guidance and opinion to the citizens. But that is purely voluntary and should not be confused with any obiligation under the RTI Act. "

उपरोक्त न्याय दृष्टांत में जो प्रतिपादित किया गया है उसके अनुसार उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन शिकायतकर्ता को कराया जा चुका है। यदि शिकायतकर्ता का यह मानना है कि रिकार्ड के संबंध में कूटरचना की गई है और रिकार्ड गायब किया गया है तो वे उसके विरूद्ध जांच हेतु सक्षम स्तर पर आवेदन/शिकायत कर सकते हैं। ऐसी जांच आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है और न ही कोई ऐसी जांच का पर्याप्त कारण या आधार ही आयोग के समक्ष आया है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आयोग की किसी द्वितीय अपील क्रं0 1437/11 का हवाला भी दिया है परंतु वह एक अन्य प्रकरण था जिस पर विचार आवश्यक नहीं पाया जाता क्योंकि उसका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर शिकायत पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं पाई जाती। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश तद्नुरूप।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त